

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/72/2023

रजू दिनांक: 26.05.2023

रजि0 न0 2023/512

अपीलार्थी:-

श्री लोचन खण्डेलवाल पुत्र श्री शम्भू दयाल खण्डेलवाल, निवासी बांस वाली गली, कुशाल गडियों की हवेली, बजाजा बाजार अलवर, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)


अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 27.06.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 02.03.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो तो दिनांक 05.06.2023 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर ने जरिये पत्र क्रमांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/980 दिनांक 23.06.2023 के माध्यम से पत्र की प्रति संलग्न कर जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है की अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 06.04.23 में वर्णित प्रथम आवेदन दिनांक 02.03.23 के संबंध में कार्यालय के पत्रांक 536 दिनांक 08.03.2023 के माध्यम से अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के आलोक में अपीलार्थी का सूचित किया जा चुका है। किन्तु प्राप्त तामिली रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना लेने से इन्कार कर प्रश्नगत सूचना रजिस्टर्ड भिजवाने बाबत आग्रह किया गया। अब पुनः प्राप्त प्रथम अपील की अनुपालना में पूर्व प्रेषित सूचना/विनिश्चय की छायाप्रति अपीलार्थी को पंजीकृत-पत्र के माध्यम से भिजवाई जा रही है। लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे। सूचना उपलब्ध कराई जावे,
6. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली क्रमांक शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।




(पुखराज सेन)

जिला कलेक्टर अलवर (राज0)